मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2001 (भाद्र 30, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

(1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य का राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-4 .

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, श्री जी. जगतपति, भूतपूर्व मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश के :-

(क) प्रतिवेदन क्रमांक एम.सी.-तीन, भोपाल नगर निगम द्वारा निर्मित हलालपुर बस स्टेण्ड व इसकी भूमि के विकल्प में आवंटित भू-खण्डों के बाबत्,
(ख) प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 13, नगर निगम, भोपाल,
(ग) प्रतिवेदन क्रमांक न.सु. न्या. 17, नगर सुधार न्यास, रतलाम,
(घ) प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 20 नगर निगम, भोपाल,
(ड.) प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 21, नगर निगम, भोपाल,
(च) भोपाल नगर निगम द्वारा टीन शेड, न्यू मार्केट पर 10X12=120 वर्गफुट की दुकान आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(छ) भोपाल नगर निगम द्वारा कमाली मंदिर पर स्थित भवन अधिग्रहीत करने के एवज में रंगमहल टॉकीज के पास नाले पर आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन,
(ज) भोपाल नगर निगम द्वारा हर्षवर्धन नगर में 3,000 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(झ) भोपाल नगर निगम द्वारा हलालपुर की भूमि खसरा क्रमांक 48 व 49 के एवज में पी.एच.ई. पंप हाऊस के पास होशंगाबाद रोड़ पर 5,000 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(ञ) भोपाल नगर निगम द्वारा हलालपुर की भूमि खसरा क्रमांक 48 व 49 के एवज में 5 नं. बस स्टाप के पास नाले पर 6,000 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(ट) भोपाल नगर निगम द्वारा हलालपुर की भूमि खसरा क्रमांक 48 व 49 के एवज में पी.एच.ई. पंप हाऊस के पास होशंगाबाद रोड पर 4,500 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(ठ) सत्यानंद योग संस्था आठनेर (जिला-बैतूल) को आवंटित भूमि का जांच प्रतिवेदन,
(ड) म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, ग्वालियर द्वारा शारदा शिक्षा समिति जौरा खुर्द (मुरैना) को स्कूल हेतु आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन,
(ढ) म.प्र. निर्माण मण्डल, ग्वालियर द्वारा दर्पण कालोनी में आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन, तथा
(ण) म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, ग्वालियर द्वारा न्यू दर्पण कालोनी में आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5-13-88-पन्द्रह-1, दिनांक 30 अगस्त, 2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, होशंगाबाद जिले की अशासकीय शिक्षण संस्था में कार्यरत शिक्षकों का शासकीय प्राथमिक शालाओं में स्थानान्तरण किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री हिम्मत कोठारी , सदस्य, इन्दौर नगर निगम को देय चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में से विद्युत बिल के नाम पर कटौती किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, अनूप मिश्रा, सुनील नायक, सदस्य, भोपाल के मालवीय नगर में एक युवक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के बीना क्षेत्र में अनेक हत्याओं के अपराधियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) चौधरी राकेश सिंह, श्री वेस्ता पटेल, श्रीमती स्वरूपबाई भाबर, सदस्य, झाबुआ नगर पालिका द्वारा मध्यान्ह भोजन के पोषण आहार को बाजार में बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—2—

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को नकली सोयाबीन बीज व खाद उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अनूप मिश्रा, गोरेलाल, सदस्य, प्रदेश के एक पूर्व मंत्री को जान से मारने संबंधी पत्र से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, बाबूलाल मेवरा, सदस्य, शिवपुरी जिला मुख्यालय स्थित गांधी मार्केट में एक व्यापारी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, बाणसागर परियोजना से विद्युत उत्पादन में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अनूप मिश्रा, सदस्य, राजगढ़ जिले के जैतपुर कला में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जाने में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री राजनारायण सिंह, प्रभाकर सिंह, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के बुरहानपुर वन मंडल क्षेत्र में वृक्षों को काटकर अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री लालसिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, मुरैना जिले के पिलुआ बांध में रायरु डिस्टिलरी से पानी छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बाघाट में दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, इन्दौर जिले के सांवेर थाने में पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से एक दलित युवक की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री लालसिंह राणावत, हिम्मत कोठारी, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित भारत कामर्स उद्योग में तालाबंदी से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के महाराजपुर ग्राम की एक महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री बृजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले में बीड़ी श्रमिकों के लिये संचालित योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के भरवेली निवासी एक व्यक्ति की मौत के दोषियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री रणवीर सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले के करेरा एवं नरवर क्षेत्र में रेत नीलामी में अनियमितता होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री राजेन्द्र भारती (उज्जैन), सदस्य, उज्जैन शहर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, मुंशीलाल, सदस्य, प्रदेश में सोयाबीन की फसल पर इल्लियों का प्रकोप होने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सुश्री कौशल्या गोटिया, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बिलपुरा में स्थित तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(24) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, नीमच जिले की कृषि उपज मंडी सिंगोली में कृषकों की उपज की खरीदी न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, राज्य सड़क परिवहन निगम के पन्ना डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(26) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, सदस्य, राष्ट्रीय राजमार्ग के उप संभाग मैहर में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री सत्यनारायण पटेल, सदस्य, इंदौर नगर निगम द्वारा विकास बॉण्ड योजना के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित करने में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सतना शहर की जल वितरण प्रणाली का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, मुंशीलाल, सदस्य, शिवपुरी के ए.बी. रोड पर डकैती पड़ने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सदस्य, डिण्डोरी जिले में आबकारी अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में सहकारी समितियों द्वारा कृषकों की बजाय व्यापारियों से सीधे खाद्यान्न की खरीदी किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) सर्वश्री हरिन्दरजीत सिंह (बब्बू), अजय विश्नोई, लाल सिंह, सदस्य, जबलपुर जिले के पाटन तहसील के भू-अभिलेख में हेराफेरी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, तेजसिंह सेंधव, जगदीश मुवेल, सदस्य, खरगौन जिले के ग्राम गढ़ी में स्वयं सेवक संघ के परिवार को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम ददूनी में एक महिला के साथ बलात्कार के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-3-

(35) श्री कमल पटेल, श्रीमती सविता दीवान, श्री हरीशंकर जायसवाल (हरिभैया), सदस्य, होशंगाबाद जिला स्थित तवा बांध के पानी का उपयोग विद्युत उत्पादन में होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) सर्वश्री प्रेमसिंह पटेल, देवी सिंह छीतू पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कोसमी में एक परिवार के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा स्थित एस.एम. डायकेम फैक्ट्री द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, सदस्य, भिण्ड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर स्थित फ्लैक्स कम्पनी में आग लगने से तीन श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) सर्वश्री बाबूलाल गौर, श्याम होलानी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा नियमों का उल्लंघन कर जल दर में वृद्धि किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के पचोर निवासी एक व्यक्ति पर झूठे प्रकरण बनाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बड़वानी में नर्मदा घाटी विकास कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे कृषकों पर लाठी चार्ज किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) कुंवर विजय शाह, सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, हिम्मत कोठारी, सदस्य, खण्डवा जिले में हरसूद शहर के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जारी नवीन अधिसूचना से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर सेन्ट्रल जेल में खूनी संघर्ष होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के सामान्य वन मंडल अंतर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) श्री रसाल सिंह, सदस्य, मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री रघुनाथ, सदस्य, खण्डवा जिले के नेपानगर क्षेत्र में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, दतिया जिले के नवोदय विद्यालय बीकर से अनेक छात्र लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री मुंशीलाल, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम कोहली में मिट्टी की खदान धसकने से चार श्रमिक बच्चों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री राजनारायण सिंह, सभापति, देवास जिले के खातेगांव में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार की भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जावे."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -
- (क) ग्राम किभूपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (ख) ग्राम भदाकुर में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
- (ग) ग्राम चोम्हों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) श्री हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के -
- (क) कटनी-मिर्जापुर मार्ग के कटनी नदी पर पुल बनाये जाने,
- (ख) बड़वारा-आमाझाल मार्ग के भिन्ना घाट पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
- (ग) बड़वारा-हिरवारा मार्ग के जलगार नदी पर रपटा बनाये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम देवराखेरा व बिहारीपुर के बीच नाले पर रपटा बनाये जाने,
- (ख) ग्राम प्रतापपुरा में शासकीय हथकरघा उद्योग स्थापित कराये जाने,
- (ग) ओरछा नगर में शासकीय रैन बसेरा बनाये जाने, तथा
- (घ) ओरछा अभ्यारण्य में चिड़ियाघर स्थापित कराये जाने,

(4) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल जिले के जनपद पंचायत फन्दा के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,

(5) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य, उज्जैन जिले के -
- (क) नगर पंचायत उन्हेल को विकास खंड घोषित कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम बिघडौद के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(6) श्री भागवत भाऊ नागपुरे, सदस्य, बालाघाट जिले के -
- (क) लांजी-आमगांव सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) ग्राम कारंजा में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
- (ग) ग्राम पंचायत धंसा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
- (घ) ग्राम कारंजा में सब स्टेशन (पावर हाउस) बनाये जाने,

(7) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम फनवानी के पास नदी पर पुल बनाये जाने,

(8) श्री श्याम होलानी, सदस्य, देवास जिले के ग्राम डोंगलापाली एवं हीरापुर क्रमांक-2 का विद्युतीकरण कराये जाने,

(9) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, सतना जिले के -

(क) टमस नदी के बेलहटा घाट पर पुल बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम शिवपुरवा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(10) श्री जोधाराम गुर्जर, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम सोहाया में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(11) श्री जुगल किशोर, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम मूंदी के पास शासकीय जमीन क्र. 62 से अवैध कब्जा हटाये जाने,

(12) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के बीट गुमारा, रेंज मेहगांव की वन भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,

(13) श्री ओमकार सिंह मरावी, सदस्य, डिण्डोरी जिला मुख्यालय स्थित शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर श्रेणी तक कक्षाएं खोलने एवं महाविद्यालय का भवन बनाये जाने,

(14) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के सिरोंज नगर स्थित हाजीपुर मोहल्ले में मकानों के ऊपर से 11 के.व्ही. विद्युत लाईन हटाये जाने,

(15) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के शाहपुरा ई-7 एवं ई-8 से साउथ एवेन्यू तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(16) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -

(क) उदयपुरा नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को भरे जाने, तथा

(ख) बेगमगंज विकास खण्ड के बीड़ी श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाये जाने,

(17) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम मानकुंड से हाटपीपल्या-नेवरी मार्ग तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम मुरादपुर के पास काली सिंध नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम आमलाताज से सोनकच्छ के पास इंदौर मार्ग तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(18) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम डदई बहरा में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ख) तहसील मुख्यालय कोतमा में उप-कोषालय खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम रेंउला में विद्युतीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य

श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 5 सितम्बर, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक-4259) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"यह सदन दिनांक 23 मार्च, 2001 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करे."

निर्धारित समय

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि सन् 1954 तक प्रदेश में जितने भी तालाब सरकारी थे, यदि वे किसी के पट्टे में हो गये हों तो उन्हें पुनः सरकारी संपत्ति घोषित किया जाय तथा तालाबों को भले ही वे निजी तालाब हों, मेड़ तोड़कर खेती करने पर प्रतिबंध लगाया जाये ताकि गांवों का जल स्तर बना रहे."

(2) श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा विद्युत आपूर्ति न करने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अपना जनरेटर विद्युत आपूर्ति हेतु लगाने पर विद्युत मंडल द्वारा उनसे लिये जाने वाले सभी शुल्क समाप्त किये जायें."

(3) श्री रसाल सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि विद्युत कनेक्शन हेतु उपभोक्ताओं से अनुबंध हिन्दी में कराया जाये तथा अनुबंध की शर्तें व्यावहारिक रखी जायें."

(4) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश शासन द्वारा अन्य राज्यों से लगे जिलों में ग्वालियर मेले के समान व्यापारिक मेले लगाये जायें तथा वहां लगाये जाने वाले ट्रेड/व्यापारिक मेले हेतु 50% टैक्स में छूट दी जावे ताकि अन्य राज्यों के नागरिकों को आकर्षित कर उन्हें प्रदेश के अन्दर खरीदी के अवसर मिल सकें."

भोपाल :
दिनांक : 20 सितम्बर, 2001

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.